

Email to all  
concerned office  
JK

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : निस/वि.स./2017/ ३१

दिनांक : २७/११/२०१७

### कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की आज्ञा क्रमांक-प.३(1201)३/२०१२ दिनांक-९ मार्च, २०१७ एवं राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक- वसूली/२०१६-१७/७१/१८ दिनांक-१८.४.२०१७ द्वारा प्रसारित उक्त आज्ञा की अक्षरशः अनुपालना की दृष्टि से पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मण्डल द्वारा दिनांक १.१.२००१ के पश्चात् आवंटित ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के आवासों की किश्तों में सम्मिलित ब्याज एवं अब तक बकाया किश्तों पर देय पैनेल्टी की शत-प्रतिशत छूट, आवंटी द्वारा समस्त राशि एकमुश्त दिनांक ३१.१२.२०१७ तक जमा कराने पर देय होगी। आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाने पर आवासन मण्डल द्वारा कब्जा लिया जाकर नीलामी के जरिये निस्तारण किया जायेगा।

इन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।

(डॉ. कुंज विहारी गुप्ता)  
आवासन आयुक्त

### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, उप सचिव, निदेशक विधि, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. लागत शाखा, भुगतान शाखा, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. सम्बन्धित/रक्षित पत्रावली।

(आरती बागोटिया)  
वित्तीय सलाहकार